फर्द अहकाम

बनाम

लय : सहायक कलक्टर, बस्सी

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क आज्ञा ार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
	पतावली वास्ते आदेश दिनांक 30/5/25 को पेश हो। 27/5/25	
5/25	पतावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पतावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। पतावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं दौराने बहस जाहिर तथ्यों के मध्यनजर वादीगण का वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी गण साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पतावली हो। पतावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 30/5/25	

न्यायालय सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारीः- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या :- 08/2024
जीसीएमएस नम्बर :-2024/00064

1. रामस्वरूप पुत्र रामकिशन
2. गिर्राज पुत्र स्व0 रामसहाय
3. भरतलाल पुत्र स्व0 रामसहाय
समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम हंसमहल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——वादीगण

–: बनाम :–

1. रामजीलाल पुत्र रेवड़
2. लल्लू पुत्र रेवड़
समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम हंसमहल ऊँचा खेड़ा की ढाणी, ग्राम पंचायत भवन के सामने, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः-
1– श्री सुधीर शर्मा अभिभाषक वादीगण
2– प्रतिवादीगण अनुपस्थित। जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

–:निर्णयः– दिनांक 30.05.2025

संक्षिप्त में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.01.2024 को एक दावा बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जो दिनांक 12.01.2024 को दावा संख्या 08/2024 बउनवानी रामस्वरूप वगैरह बनाम रामजीलाल वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

वादीगण ने अपने वाद पत्र में इस आशय का कथन किया कि राजस्व ग्राम हंसमहल, पटवार हल्का हंसमहल, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र बांसखोह, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 1/4 रकबा 0.3035 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी को वाद पत्र में "भूमि वादग्रस्त" शब्द से सम्बोधित करते हुए कथन किया कि भूमि वादग्रस्त वादी संख्या 1 व वादीगण संख्या 2 व 3 की पैतृक कब्जे काश्त एंव खातेदारी की है।

उक्त भूमि वादग्रस्त से प्रतिवादीगण का कोइ संबंध व सरोकार नहीं है एंव प्रतिवादीगण जबरन उक्त भूमि वादग्रस्त पर कब्जा कर पुख्ता निर्माण करने

30.5.25

पर आमादा है एंव वादीगण के कब्जे काश्त एंव उपयोग व उपभोग में बाधा डाल रहें है।

भूमि वादग्रस्त के हिस्सा 1/2 के खातेदार रामसहाय पुत्र विरधा की मृत्यु हो चुकी है। वाद पत्र की मद नम्बर 3 में रामसहाय पुत्र विरधा का सजरा खानदान दर्ज करते हुए कथन किया कि दिनांक 08.01.2024 को प्रतिवादीगण वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि वादग्रस्त पर आ गये व वादीगण के हक व अधिकार होने से इन्कार कर दिया एंव जबरन कब्जा करने लगे एंव नींव की खुदाई कर पुख्ता निर्माण सामग्री मौके पर डालकर पुख्ता निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया व वादीगण द्वारा मना करने पर झगड़ा किया व वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा डाली। इस कारण वादीगण को उक्त वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण को विनायदावा दिनांक 08.01.2024 की घटना के कारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है।

भूमि वादग्रस्त माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इस कारण वादीगण के वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र निर्धारित कोर्टफीस पर प्रस्तुत है। वाद पत्र अन्दर म्यांद पेश है।

अनुतोष वादीगण निम्न प्रकार है-

(क) वादीगण संख्या 2 व 3 का वाद बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे व वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि वादग्रस्त के हिस्सा 1/2 के खातेदार जिसके पूर्व में खातेदार मृतक रामसहाय पुत्र विरधा थे, वादीगण को घोषित किया जावे व भूमि वादग्रस्त के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान करे।

(ख) वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जावे व वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि वाग्रस्त के संबंध में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा नहीं डाले, न ही पुख्ता निर्माण करे, न ही वादीगण को बेदखल करे, इत्यादि।

वादीगण ने अपने वाद पत्र का सत्यापन किया तथा वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया।

न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2024 को वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से करवाने के आदेश पारित किये गये। डिस्पेच नम्बर 171-172 दिनांक 18.01.2024 द्वारा नोटिस जारी किये गये। दिनांक 22.11.2024 को वकील वादीगण ने रजिस्टर्ड रसीदे पेश की जो शामिल मिसल है। दिनांक 02.12.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री राजेश शर्मा ने अण्डरटेकिंग दी। दिनांक 03.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकील उपस्थित हुए। दिनांक 24.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से पूर्व में एडवोकेट श्री राजेश शर्मा ने अण्डरटेकिंग दी थी परन्तु ना तो उनकी ओर से वकालतनामा पेश किया गया, ना ही आज उपस्थित हुए है एंव ना ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित हुए,

30.5.25

अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जावे के आदेश पारित किये गये और पत्रावली में आगामी पेशी वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। दिनांक 12.05.2025 को वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गिर्राज पुत्र स्व0 रामसहाय का शपथ पत्र बतौर साक्षी पेश किया गया।

दिनांक 27.5.2025 को वादीगण की ओर से और साक्ष्य पेश करने से इन्कार किया और अन्तिम बहस सुनने हेतु निवेदन किया। जिस पर अन्तिम बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो एंव पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर वादीगण का दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। वादीगण ने मौखिक साक्ष्य में गिर्राज पुत्र रामसहाय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया परन्तु उक्त साक्ष्य को मुख्य परीक्षण में परीक्षित नहीं करवाया है और ना ही दस्तावेजी साक्ष्यो को प्रदर्शित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य नहीं पढी जायेगी। इस प्रकार वादीगण के वाद पत्र में वर्णित तथ्य साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं होने के कारण वादीगण का वाद पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतएव वादीगण का वाद पत्र बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.5.25 को सरे इजलास में सुनाया गया।

शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर।

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारीः- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या :- 08/2024
जीसीएमएस नम्बर :-2024/00064

1. रामस्वरूप पुत्र रामकिशन
2. गिर्राज पुत्र स्व0 रामसहाय
3. भरतलाल पुत्र स्व0 रामसहाय
   समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम हंसमहल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

---वादीगण

-: बनाम :-

1. रामजीलाल पुत्र रेवड़
2. लल्लू पुत्र रेवड़
   समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम हंसमहल ऊँचा खेड़ा की ढाणी, ग्राम पंचायत भवन के सामने, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू दावा व हाजिरी ------- मिनजानिब मुद्धई रूबरू ---------- मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करे।

निज------ मुबलिग-------- बाबत् ------- खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह------फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदागी तक ---------- को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 30.5.25 को जारी की गई।

मुहर

30/5/25

दस्तखत
शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर।

मुद्धई	रूपया	पैसे	मुद्धायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिशनर बाबत् इजराय			फीस कमिशनर बाबत् इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

दस्तखत
मुद्दई
30/5/25
शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर